न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–228/2017 (2017/00228)/223/ब्यावर

1. नरेश पुत्र श्री उमाराम जाति मेघवंशी निवासी भांबीपुरा देवाता, तहसील ब्यावर जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. मोहन पुत्र श्री उमाराम
2. श्रीमती रहिमी पत्नि स्व. उमाराम दोनो जाति मेघवंशी निवासीयान भांबीपुरा देवाता, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।
4. उपपंजीयक अधिकारी, ब्यावर जिला अजमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017, वाद संख्या 48/2017 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर।

उपस्थितः–

1. श्री सूरजसिंह चौहान एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री ज्ञानचन्द्र गरिया एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से ।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2019

01. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017, वाद संख्या 48/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. का. अधि. का अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष पेश का कथन किया कि मौजा भांबीपुरा, पटवार हल्का देवाता, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवाता, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर मे निम्न कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 108, 109, 119, 120, 258, 259, 293 है। उपरोक्त भूमिया संयुक्त रूप से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। उपरोक्त भूमियो का किसी प्रकार से बंटवारा नही हो रखा है, इनका बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के बंटवारा किया जावे। प्रकरण को दर्ज कर दिनांक 23–06–2017 मे केम्प कोर्ट देवाता मे पेश होने बाबत आदेशित किया गया। उपरोक्त पश्चात दिनांक 23–06–2017 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण उक्त प्रकरण दिनांक 28–06–2017 को नियत किया गया एंव दिनांक 28–06–2017 को अपीलांट कोर्ट केम्प देवाता मे उपस्थित नही हुआ। दिनांक 28–06–2017 की आदेशिका पर जो हस्ताक्षर है वह कूटरचित एंव फर्जी हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे उचित जवाब का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 28.02.2018 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.06.2017 को अपीलांट कोर्ट कैम्प देवाता में उपस्थित नही हुआ एवं दिनांक 28.06.2017 की आदेशिका पर जो हस्ताक्ष अपीलांट के कर रखे है उक्त हस्ताक्षर फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर हैं एवं इस प्रकार के हसताक्ष अपीलांट कभी भी नहीं करता है तथा दिनांक 28.06.2017 को अपीलांट रावतभाटा में नौकरी कर रहा था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा उक्त प्रकरण का उचित जवाब का अवसर ही नही दिया गया, जबकि उक्त प्रकरण की वादग्रस्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 108, 109 सरकारी भूमियॉ हैं एवं शेष भूमियों का पूर्व में ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के मध्य दिनांक 21.03.2000 व दिनांक 20.03.2002 को बंटवारा हो चुका हैं एवं उक्त बंटवारा अनुसार अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना विस्तृत जवाब पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का है, उक्त धारा के अन्तर्गत प्रकरण में अपीलांट का जवाब लिया जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 12.07.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु प्रतिलिपि दिनांक 01.09.2017 को दी गयी। अपील उक्त नकल प्राप्त करने अन्दर मियाद पेश की जा रही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 को अपास्त फरमाया जावें तथा रेस्पोडेन्ट का वाद निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा/जवाब प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया जाकर बाद साक्ष्य मूल वाद को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.06.2017 में अपीलांट के हस्ताक्षर हैं और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया कि विवादित आराजी का बंटवारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई और विवादित आराजी को बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक हिस्से कायम किये जाने है यदि अपीलांट को कोई उज्र है तो समक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित अपनी आपत्ति जाहिर करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 28.06.2017 को हो चुकी थी किन्तु उसने अपने स्वार्थ के वंशीभूत होकर अधीनस्थ न्यालालय पर झुठे, मनमाने आरोप जड़ दिये हैं जो गलत है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कथन अंकित किये हैं वो सर्वथ असत्य, मनमाने कथन है जो प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किये जाने योग्य नही है। इसलिए अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील को खारिज किया जावें।

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपील में देरी होने बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों एवं प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को दिनांक 24.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात आगमी

पेशी दिनांक 23.06.2017 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से आगामी पेशी कैम्प कोर्ट में दिनांक 28.06.2017 नियत की गई तथा उसी दिन प्रस्तुत वाद का निस्तारण कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट का यह कहना कि मैं कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोन यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब का अवसर दिये ही, बिना प्रतिवादी की साक्ष्य लिये एवं बिना दस्तावेज प्रदर्शित कराये पत्रावली को दिनांक 28.06.2017 को लोक अदालत में रख कर प्रतिवादी को बिना जवाब दावा प्रस्तुत किये ही वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की हैं, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2008 पार्ट–1 आर.आर.टी. पेज 825 में प्रतिप्रादित सिद्धान्त के अनुसार बिना जाप्ता दीवानी के प्रक्रिया का अनुसरण किये, बिना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्शित कराये निर्णय पारित करना विधि संगत नही माना हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्याालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 खारिज किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को जवाब, साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

10. आदेश आज दिनाक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर